वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन

कोटा, (निसं)। जवाहरलाल नेहरू टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, लखावा, कोटा में गुरूवार को 'नई पीढ़ी में मोबाइल के बढते प्रभाव' विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिसके अंतर्गत सेक्शन-ए ने नई पीढ़ी में मोबाईल के प्रभाव के पक्ष में सकारात्मक और सेक्शन-बी ने नकारात्मक प्रभाव पर अपने-अपने विचार रखें। सेक्शन-ए के प्रतिभागियों ने मोबाईल का प्रभाव बताते हुए उसे आज की आवश्यकता के रूप में इंगित किया।

सांगोद में कई परिवादों का मौके पर निस्तारण किया, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने जनसुनवाई की

कोटा, (निसं)। आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर ग्रामीण पुलिस की ओर से शुरू की गई जनसुनवाई के पहल के दौरान ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने ग्रामीण इलाके के सांगोद में जनसुनवाई की एवं कई परिवादों का मौके पर निस्तारण भी किया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि ग्रामीण पुलिस की पहल पर वृत क्षेत्र सांगोद में सांगोद थाना पर जनसुनवाई की गई। ग्रामीण एसपी ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान परिवादियों द्वारा पेश किये गये कई परिवादों का मौके पर ही सुनवाई कर निस्तारण किया गया एवं प्राप्त परिवेदनाओं में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

ग्रामीण एसपी ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान मौजूद लोगों से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई एवं मौके पर समस्याओं के निराकरण के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। ग्रामीण एसपी ने कहा कि कोई भी परिवादी सीधे शिकायत एसपी हेल्पलाईन वॉटसएप सीयूजी नम्बर 8764520202 पर दर्ज करवा सकते है। जनसुनवाई में पुलिस उप अधीक्षक सांगोद बाबूलाल रेगर सहित सांगोद थानाधिकारी सुनील कुमार सिंह, कनवास थानाधिकारी श्यामाराम विश्नोई, देवली थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी सुरेश कुमार मीणा, बपावरकला के उपनिरीक्षक थानाधिकारी अभयसिंह यादव व पुलिस जाप्ता मौजूद था। इस मौके पर सांगोद पंचायत समिति अमृतकुंआ प्रधान जयवीर सिंह, भामाशाह कुराडिया खुर्द के रमेशचन्द नागर तथा सीएलजी सदस्य उपस्थित थे।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने सांगोद थाना स्तर पर जनसुनवाई की।

ब्लॉक स्तरीय प्रबल कार्यक्रम संपन्न

■ प्रबल कार्यक्रम में कुल 66 छात्र छात्राओं ने भाग लिया जिसमें 34 छात्राएं और 32 छात्र थे

रामगंजमण्डी, (निसं)। ब्लॉक स्तरीय प्रबल कार्यक्रम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंजमंडी में 30 अक्टूबर गुरुवार को संपन्न हुआ। प्रबल कार्यक्रम विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास एवं उनमे कौशल विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया।

इसमें जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता, वित्तीय साक्षरता, जलवायु परिवर्तन एवं नागरिकता आदि का विकास करना है। यह एक सीखने पर केंद्रित कार्यक्रम है। जहां प्रतिस्पर्धा पर जोर देने के बजाय सहयोग एवं समग्र विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रबल कार्यक्रम में कुल 66 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिसमें 34 छात्राएं और 32 छात्र थे।

कार्यक्रम की संयोजक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृति मेहरोत्रा एवं सहसंयोजक शिवनारायण धाकड़ प्रधानाचार्य पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंजमंडी थे। प्रबल कार्यक्रम के तहत तीन प्रतियोगिताएं नाट्य प्रदर्शन, भाषण, आशु भाषण एवं पैनल चर्चा या फॉकस ग्रुप चर्चा सम्मिलित थी।

कार्यक्रम के तहत तीनों प्रतियोगिताएं निम्न थीम या विषयों पर आधारित रही किशोर आयु में टेक्नोलॉजी एवं सोशल मीडिया का प्रभाव, हमारा भविष्य हमारा निर्माण, शिक्षा हम सबके लिए, हमारा पर्यावरण हमारा भविष्य एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, शिक्षा जेंडर समानता। प्रतियोगिता में 27 छात्राओं ने एवं 26 छात्रों ने आशु भाषण या भाषण में भाग लिया। एक छात्रा एवं तीन छात्रों ने नाट्य प्रदर्शन किया। छः छात्राओं एवं तीन छात्रों ने ग्रुप चर्चा या पैनल चर्चा में भाग लिया। छात्रा वर्ग में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैराबाद की छात्रा जय श्री शक्तावत ने एवं छात्र वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुकेत के छात्र कुलदीप पंचाल ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया।

कार्यक्रम प्रभारी अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश राठौर रहे एवं कार्यक्रम की व्यवस्था सुरेश कुमार कुमावत आरपी एवं लोकेश शर्मा आरपी द्वारा की गई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृति मेहरोत्रा द्वारा सभी छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं प्रथम स्थान प्राप्त छात्र-छात्राओं को प्रतिक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र दिया गया।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2180 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 29.10.25

आवास संख्या 3-एम-26 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री महेश कुमार पुत्र श्री हीरा लाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री निर्भय सिंह के नाम दिनांक 18.03.2010 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री निर्भय सिंह के नाम दिनांक 22.04.2010 को किया गया। पंजीयन उपरांत श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री निर्भय सिंह द्वारा इस आवास से सम्बन्धित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 04.02.2013 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्री त्रिलोकचंद गौत्तम पुत्र श्री नवनीत लाल गौत्तम को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री त्रिलोकचंद गौत्तम पुत्र श्री नवनीत लाल गौत्तम द्वारा मुख्तार आम की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 09.04 2013 को श्री अंकित पंचोली पुत्र स्व. श्री नरेन्द्र पंचोली को किया गया। श्री अंकित पचोली पुत्र स्व. श्री नरेन्द्र पंचोली का नाम दिनांक 24.09.2013 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात् श्री अंकित पंचोली पुत्र स्व. श्री नरेन्द्र पंचोली द्वारा उक्त आवास का दान जरिये दानपत्र आलेखित कर दिनांक 30.10.2017 को श्रीमती यामिनी पुत्री स्व. श्री नरेन्द्र पंचोली पत्नी श्री नीतेश गौत्तम को किया गया। श्रीमती यामिनी पुत्री स्व. श्री नरेन्द्र पंचोली पत्नी श्री नीतेश गौत्तम द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-एम-26 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा को दानपत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती यामिनी पुत्री स्व. श्री नरेन्द्र पंचोली पत्नी श्री नीतेश गौत्तम का नाम दानपत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती यामिनी पुत्री स्व. श्री नरेन्द्र पंचोली पत्नी श्री नीतेश गौत्तम का नाम दानपत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती यामिनी पुत्री स्व. श्री नरेन्द्र पंचोली पत्नी श्री नीतेश गौत्तम का नाम दानपत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांकः LU2012/KOT/2025-26/101065 **लोक सूचना** दि.30.10.2025

श्रीमति MANISHA PANWAR पत्नी श्री HARIOM PANKAJ जाति DHOBI निवासी MASJID ROAD KESHAVPURA, KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **फार्म हाउस** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	गुडला, केशोरायपाटन (कोटा)	MANISHA PANWAR W/O HARIOM PANKAJ	834/416	0	0.63
				कुल	0.63

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 30/10/2025 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक : एफ 7/डी.टी.पी./2025/169-174 **विज्ञप्ति** दि. 29.10.2025

राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाये गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण, भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु कोटा विकास प्राधिकरण मे विचाराधीन है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस मे कोटा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नही किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड सं./ योजना का नाम	योजना/मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल
1.	श्री युसुफ अली पुत्र स्व. मरहूम नबी मोहम्मद	भूखण्ड संख्या 2, (खसरा सं. 307) वसुन्धरा विहार ग्राम रामचन्द्रपुरा, कोटा	आवासीय	व्यवसायिक	170.07 वर्गमीटर

सचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक : एफ 7/डी.टी.पी./2025/175-180 **विज्ञप्ति** दि. 29.10.2025

राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाये गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण, भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु कोटा विकास प्राधिकरण मे विचाराधीन है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस मे कोटा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नही किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड सं./ योजना का नाम	योजना/मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल
1.	श्री आशिक अली पुत्र स्व. मरहूम नबी मोहम्मद	भूखण्ड संख्या 1, (खसरा सं. 307) वसुन्धरा विहार ग्राम रामचन्द्रपुरा, कोटा	आवासीय	व्यवसायिक	170.07 वर्गमीटर

सचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/573 दिनांक:-29.10.25

नाम हस्तान्तरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-937. बसंत विहार केशवपुरा-9 योजना का आवंटन प्राधिकरण के पत्र कमांक-1505 दिनांक 04.04.1986 द्वारा श्री अकबर पुत्र श्री अब्दुल मजीद को आंवटित किया गया था। श्री अकबर के द्वारा श्री मनोज कुमार पाठक पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश पाठक को उक्त भूखण्ड कि कार्यवाही के सम्बंध में मुख्तारआम नियूक्त किया गया श्री मनोज कुमार पाठक पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश पाठक के द्वारा मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखण्ड का बैचान वर्ये विक्रय पत्र दिनांक 18.04.2002 को श्री राजमल जाजू पुत्र श्री नाथूलाल जाजू को उक्त भूखण्ड का बैचान किया गया था। क्रेता श्री राजमल जाजू पुत्र श्री नाथूलाल जाजू कि मृत्यु दिनांक-27.11.2012 मृत्यु के पश्चात श्री राजमल जाजू के विधिक वारिसान के द्वारा श्री ओमप्रकाश जाजू पुत्र श्री स्व. राजमल जाजू के पक्ष में हक का त्याग किया गया है। हकत्याग ग्रहिता श्री ओमप्रकाश जाजू पुत्र श्री स्व. राजमल जाजू के नाम हस्तांतरण चाहा गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास /भूखण्ड संख्या-937 बसंत विहार केशवपुरा-9 योजना का नाम हस्तांतरण श्री ओमप्रकाश जाजू पुत्र श्री स्व. राजमल जाजू नाम से जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/576 दिनांक:-29.10.25

नाम हस्तान्तरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-768 बसंत विहार केशवपुरा-9 योजना का आवंटन प्राधिकरण के पत्र कमांक-289 दिनांक 12.11.1984 द्वारा श्री नेमी चन्द पुत्र श्री राम कल्याण को आंवटित किया गया था। श्री नेमी चन्द के द्वारा श्रीमती कलावती देवी पत्नि श्री स्व. बसंत लाल शिवनानी को उक्त भूखण्ड कि कार्यवाही के सम्बंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया। श्रीमती कलावती देवी पत्नि श्री स्व. बसंत लाल शिवनानी के द्वारा मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखण्ड का बैचान वर्ये विक्रय पत्र दिनांक 11.09.2003 को श्री भवानीशंकर पुत्र श्री छीतरलाल मीणा के द्वारा अपने नाम उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखण्ड संख्या-768 बसंत विहार केशवपुरा-9 योजना का नाम हस्तांतरण श्री भवानीशंकर पुत्र श्री छीतरलाल मीणा नाम से जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/466 दिनांक:-30.10.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा योजना सुभाष नगर आवासीय भूखण्ड संख्या 1489 का आवंटन पत्र क्रमांक 706 दिनांक 22.04.1991 को श्री अमर चन्द जैन पुत्र श्री फतेहमल जैन के नाम आंवटन किया गया था। आवंटी श्री अमर चन्द जैन की मृत्यु दिनांक 15.02.2023 को हो गयी है। मृत्यु उपरान्त श्री अमर चन्द जैन पुत्र श्री फतेहमल जैन के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत वसीयत, वसीयतकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र वसीयत गवाहो के शपथ पत्र, एवं अन्य शपथ पत्रों, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्री गिरिराज कुमार माँजरिया पुत्र श्री प्रभुलाल माँजरिया द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 1489 सुभाष नगर अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपति प्रस्तुत कर दे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 1489 योजना सुभाष नगर का नामहस्तान्तरण श्री अमर चन्द जैन पुत्र श्री फतेहमल जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

हैतुक दर्शित करने के लिए

(साधारण प्रारूप)

(व्यवहार प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसुची संख्या 4)

न्यायालयः उपखण्ड अधिकारी महोदय, भवानीमण्डी

गोपालसिंह विरूद्ध जुजर वगै.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

प्रार्थना पत्र संख्या-2025/16

सुचना-पत्र

यहकि सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी गोपालसिंह की और से जुजर आत्मज फखरूद्दीन मामा जाति बोहरा निवासी बुर्हानी टावर ए ब्लॉक-4 बसीन ब्रिज चैन्नई तमिलनाडू के विरूद्ध उपरोक्त उनवान का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिनकी तामील होना शेष है इस कारण से प्रकरण के निस्तारण मे काफी विलम्ब हो रहा है। इसके सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन दिनांक 12.11.25 को समय 10.00 बजे ए.एम. पर उपखण्ड कार्यालय भवानीमण्डी या न्यायालय परिसर उपखण्ड न्यायालय भवानीमण्डी के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें अन्यथा बाद गुजरने मियाद कोई उज्रात नहीं सुने जायेगे तथा प्रार्थी के पक्ष में उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा। अतः आदेश आज दिनांक 29.10.2025 को यह सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

मोहर अदालत

न्यायालय के आदेश से रीडर
उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय SDO सा. छबड़ा

रामभरोस विरुद्ध सर.

बाबत् 88,89,91,92A, 188, RT Act 136 LR Act

बनाम लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल जाति महाजन स्थान-छबड़ा जिला बारां (राज.) ने आपके विरुद्ध..... के लिए संस्थित किया जाता है। आपका इस न्यायालय में तारीख 12 माह 11 सन् 25 को दिन में 10AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 8 माह 10 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित

बूंदी (निसं)। शहर के सामाजिक संगठनों द्वारा गुरुवार को सर्किट हाउस में दीपावली स्नहे मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओएसडी राजीव दत्ता थे। दत्ता के सर्किट हाउस पहुंचने पर पूर्ण सभापति महावीर मोदी वह समाजसेवी महावीर जैन की अगुवाई में दत्ता का स्वागत किया गया । शहर वासियों ने सर्किट हाउस के बाहर आतिशबाजी की और दत्ता का माला पहनाकर अभिनंदन किया।

एस.के.फाइनेंस लिमिटेड

(CIN : U65923RJ1994PLC009051)

पंजीकृत कार्यालयः फ्री 1-2, न्यू मार्केट, खाला कोठी सर्किल, जयपुर- 302001 टोल फ्री: 1800 1039 039 ई-मेलः info@sfkin.in

शाखा कार्यालय स्थानान्तरण करने हेतु सार्वजनिक सूचना

सर्वसूचित किया जाता है कि कम्पनी प्रबंधक के निर्णयानुसार हम अपनी **झालावाड़ शाखा** को नये पते पर स्थानान्तरित कर रहे हैं:-

पुराना पता- प्लॉट नं.-1, प्रथम तल, गायत्री मंदिर के पास, गायत्री कॉलोनी, कोटा रोड, झालावाड़, तहसील-झालरापाटन, जिला-झालावाड़-326001 (राजस्थान)

नया पता- अपर ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 6 व 7, प्रेम रेजीडेंसी, आरटीओ के पास, बारां मेन रोड, गांव खंडिया, झालावाड़, राजस्थान- 326001

अतः हम अपने सभी ग्राहकों से अनुरोध करते है कि भविष्य में हमारी किसी भी तरह की लोन सुविधाओं के लिए हमारे नये पते पर संपर्क करें।

1100 लीटर वाश नष्ट

छबड़ा (निसं)। अवैध हथकढ़ शराब की रोकथाम को लेकर चलाये जा रहे अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए आबकारी विभाग ने आनंद विहार से 7 लीटर से अधिक हथकड शराब जब्त की है। वही, उदपुरिया गांव में दबिश देकर 65 लीटर हथकड शराब ज़ब्त कर लगभग 1100 लीटर वाश नष्ट की है तथा 2 भट्टियो के सामान जब्त किये। प्रहराधिकारी मदनलाल मीणा के अनुसार आबकारी निरोधक दल ने आनंद विहार में 7.25 लीटर हथकड शराब बरामद कर एक साधारण अभियोग के तहत दर्ज किया गया। इसके बाद प्रहराधिकारी बारां और छबड़ा की संयुक्त रेड में उद्पुरिया गांव में 65 लीटर हथकड शराब बरामद कर एक अभियोग दर्ज किया गया। यहां लगभग 1100 लीटर वाश नष्ट की गई और दो भट्टी के सामान जप्त किए गए। बापचा थानाधिकारी बुद्धराम के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के गांव बटावदापरा कंजर कॉलोनी में कार्यवाही करते हुए कंजर बस्ती के पीछे बनी अवैध कच्ची शराब की भट्टीयों को नष्ट कर करीब 100 लीटर से अधिक अवैध कच्ची शराब के वॉश व शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया।

नव-नियुक्त कार्यकारिणी का हुआ शपथ ग्रहण

कोटा, (निसं)। ओ.बी.सी अभिभाषक संघ की नव-नियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह समपन्न हुआ। ओ.बी.सी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक चौधरी ने बताया कि ओ.बी.सी अभिभाषक संघ की नव-नियुक्त कार्यकारणी के पदाधिकारियों व सदस्यो का अदालत परिसर में साथी वकीलों ने ढोल-नगाड़ो के साथ स्वागत कर माल्यपर्ण किया एवं सभी अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी जाहिर की। ओ.बी.सी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक चौधरी ने बताया कि कार्यकारिणी की अगामी बैठक 8 नवम्बर को बुलाई गई है, जिसमें संगठन के आगामी कार्यक्रमों के सबंध में रूप रेखा तैयार की जायेगी।

पश्चिम मध्य रेल

खुली निविदा सूचना

सं. ईएल/50/एनआईटी/64(2025-26) दिनांक 27.11.2025

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरि.मंडल विघुत अभियंता (सामान्य), पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदा आमंत्रित करते है। **निविदा संख्याः** ईएल/50/280 आर/2025-26, **कार्य का नामः** कोटा-यात्री ट्रेनों के लिए कोटा स्टेशन पर सभी प्लेटफार्मों पर SCADA आधारित त्वरित जल व्यवस्था में सुधारः और ELS/TKD: SMM/ELS/TKD में सीसीटीवी के प्रावधानों के साथ अवसंरचना विकास, रबर वस्तुओं के लिए एसी, मोटर चालित ट्रॉली के साथ सामग्री हैंडलिंग उपकरण, आरओ जल शोधक और भंडारण के लिए भारी-शुल्क रैकिंग सिस्टम।, **अनुमानित लागत (रू.में):** 27,84,688.48, **बयाना राशि (रू.में):** 55,700/-, **कार्य समाप्ति अवधिः** 06 माह, **निविदा प्रस्तुत करने एवं खुलने की दिनांक तथा समयः** 17.11.2025 को 15.00 बजे तक एवं खुलने का समय 15.15 बजे, **निविदा संख्याः** ईएल/50/281 आर/2025-26, **कार्य का नामः** कोटा डिवीज़न के विद्युत पम्प, मोटर सेट एवं स्टार्टर की मरम्मत ठेका 02 वर्ष की अवधि हेतु प्रावधान।, **अनुमानित लागत (रू.में):** 41,74,808.92, **बयाना राशि (रू.में):** 83,500/-, **कार्य समाप्ति अवधिः** 24 माह, **निविदा प्रस्तुत करने एवं खुलने की दिनांक तथा समयः** 17.11.2025 को 15.00 बजे तक एवं खुलने का समय 15.15 बजे। ऑफर केवल ई-टेण्डरिंग के माध्यम से वेबसाईट http://www.ireps.gov.in पर स्वीकार किए जायेंगे। निविदा दाता के पास क्लास III डिजिटल सिग्नेचर सार्टिफिकेट होना चाहिए एवं आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी निविदा मैनुएली स्वीकार नहीं है। निविदा डालने से पहले टेण्डर दस्तावेजों की स्पेशल कण्डीशन्स एवं शर्तें अवश्य पढ लें।

हस्ता.
कृते.वरि. मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य), पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

अंतर-महाविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न

कोटा, (निसं)। राजकीय महाविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित कोटा विश्वविद्यालय अंतर-महाविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता (पुरुष एवं महिला वर्ग) गुरूवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रातः 9.00 बजे हुआ। खिलाडियों के उत्साह, अनुशासन और सुव्यवस्थित प्रबंधन के कारण सभी भार वर्गों के प्रारंभिक, सेमीफाईनल एवं फाईनल मुकाबले सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। यह प्रतियोगिता कोटा विश्वविद्यालय के क्रीड़ा मंडल एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के परिसर में आयोजित की गई, जिसमें 20 महाविद्यालयों की कुल 25 टीमों के 45 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया। पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में अत्यंत रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक मुकाबले हुए, जिनमें खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट तकनीक, शक्ति और खेल भावना का प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल ने निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय मूल्यांकन के आधार पर विजेताओं का चयन किया। पुरुष वर्ग में जैन दिवाकर कमला महाविद्यालय, कोटा के सुमित गोचर ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जबकि राजकीय महाविद्यालय, वजीरपुर (सवाई माधोपुर) के वारिस खान को रजत पदक मिला। महिला वर्ग में 57 किलोग्राम भार वर्ग में ठडब्ब्न किशनगढ़ की काजल नगर ने स्वर्ण पदक जीता तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा की पलक गोयल ने रजत पदक प्राप्त किया।

समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि प्रो.विजय पांचोली, सहायक निदेशक (उच्च शिक्षा) कोटा, एवं आई.के.दत्ता ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज की। मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है, जो अनुशासन, निरंतर अभ्यास और टीम भावना को विकसित करता है। इसके पश्चात विजेता खिलाड़ियों को पदक एवं प्रमाणपत्र प्रदान किऐं गऐं। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में कोटा विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉ.अमर सिंह यादव एवं उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। उनके कुशल निर्देशन, समर्पण और सतत सहयोग से प्रतियोगिता का संपूर्ण संचालन अत्यंत अनुशासित एवं प्रभावी रूप से संपन्न हुआ। साथ ही आयोजन समिति के सदस्य-डॉ.नफीस, डॉ.रघुराज परिहार, डॉ.सुरेश, डॉ.सचिन, डॉ.रीना डॉ.रामबिलास, डॉ.धनराज तथा अन्य सहयोगी स्टॉफ ने भी प्रतियोगिता की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

'कोटा-बून्दी के हर गांव में होगा मुक्तिधाम का विकास'

कोटा, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा और बून्दी के जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोटा-बून्दी संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव में मुक्त